

Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22210-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या.- 1496/2026

मीटू एवं 5 अन्य

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता :- अक्षय कुमार सिंह, अखिलेन्द्र प्रताप सिंह, पालक जावा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 11

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. व्यक्तिगत उपस्थिति के मामलों की सूची को पुनरीक्षित किया गया है। पुनरीक्षित पुकार के बावजूद याचिकाकर्ताओं की ओर से इस याचिका पर बल देने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

2. तात्कालिक याचिका दिनांक 05.11.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो वाद अपराध संख्या 262/ 2025 के रूप में पंजीकृत है, अंतर्गत धाराएँ 85, 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएँ 3 एवं 4, थाना लोनार, जनपद हरदोई, को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत की गई है।

3. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2026 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने यह संकेत दिया था कि यदि मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजा जाता है, तो पक्षों के बीच समझौते की पूरी संभावना है, इसलिए इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपनी सद्भावना दर्शाने के लिए 20,000/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया था और उक्त राशि जमा करने की शर्त पर एक अंतरिम आदेश भी पारित किया गया था।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

4. दिनांक 23.03.2026 की कार्यालय आख्या के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने न तो उपरोक्त राशि जमा की है और न ही विरोधी पक्षकार संख्या-4 को सूचना जारी करने हेतु कोई कदम ही उठाए हैं।

5. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के समक्ष न केवल गलत बयान दिया गया है, बल्कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पक्षों के बीच विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के उद्देश्य से 20,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने के संबंध में व्यक्त की गई सद्भावना का भी पालन नहीं किया गया है। यह स्पष्ट रूप से न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है।

6. इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य : (2010) 2 SCC 114** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ देना उपयुक्त होगा, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन वादकारियों की कड़ी निंदा की है जो अपने लाभ के लिए न्याय प्रणाली का उपयोग करते हैं और इस प्रकार न्याय की धाराओं को प्रदूषित करने का प्रयास करते हैं।

7. सुविधा के लिए, **दलीप सिंह (उपरोक्त)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे उद्धृत किया गया है:-

"पिछले 40 वर्षों में, वादकारियों का एक नया पंथ/वर्ग उभर कर आया है। इस वर्ग से संबंधित लोगों के मन में सत्य के प्रति कोई सम्मान नहीं है। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेशर्मी से झूठ और अनैतिक साधनों का सहारा लेते हैं। वादकारियों के इस नए वर्ग द्वारा उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए, न्यायालयों ने समय-समय पर नए नियम विकसित किए हैं और अब यह पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि जो वादकारी न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है अथवा दूषित हाथों से न्याय के पवित्र स्रोत को स्पर्श करता है, वह किसी भी प्रकार के अनुतोष, चाहे अंतरिम हो अथवा अंतिम, का अधिकारी नहीं है।

8. उपरोक्त निर्णय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पांडुरंग विट्ठल केवने बनाम भारत संचार निगम लिमिटेड व अन्य : 2024 INSC 1051** के मामले में पुनः विचार किया गया है।

9. इसी प्रकार, इस न्यायालय ने **दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 9143/2025 आशीष कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य** के मामले में, जहाँ समान परिस्थितियों में एक वादकारी ने इस न्यायालय का रुख किया था और यह स्पष्ट रूप से दर्शाया था कि वह इस न्यायालय के

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

मध्यस्थता केंद्र के समक्ष उपस्थित होकर मामले को सुलझाने का इच्छुक है, तथा अपनी सद्भावना दिखाने के लिए उसे एक निश्चित राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था, फिर भी वह न तो उक्त राशि जमा करने में और न ही इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के समक्ष उपस्थित होने में सफल रहा; अतः इस न्यायालय ने निर्णय और आदेश दिनांक 24.11.2025 के माध्यम से उक्त याचिका को 25,000/- रुपये के उदाहरणात्मक हर्जाने के साथ खारिज कर दिया था, जिसे निर्धारित समय के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाना था।

10. सुविधा के लिए, **आशीष कुमार (उपरोक्त)** के मामले में प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे उद्धृत किया गया है:-

"3. उपरोक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से यह कथन दिया गया था कि यदि मामले को इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र को संदर्भित किया जाता है, तो पक्षों के बीच विवाद के सुलझाने की पूरी संभावना है। उपरोक्त पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या-4 को सूचना जारी की गयी थी और यह भी अपेक्षा की गयी थी कि याचिकाकर्ता संख्या-1 दस दिन की अवधि के भीतर इस न्यायालय के समक्ष 25,000/- रुपये की राशि जमा करेगा।

4. दिनांक 18.11.2025 और 21.11.2025 की कार्यालय आख्याओं के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि (क) 25,000/- रुपये की राशि जमा नहीं की गई है और (ख) प्रतिवादी संख्या-4 को सूचना जारी करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। यहाँ तक कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता भी आज उपस्थित नहीं हैं।

5. अतः, प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय के समक्ष मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने हेतु बयान देने का एकमात्र कारण न्यायालय को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम आदेश देने के लिए राजी करना था। याचिकाकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय के समक्ष 25,000/- रुपये की राशि जमा न करने और प्रतिवादी संख्या-4 को सूचना जारी करने के लिए कदम न उठाने का यह आचरण स्पष्ट रूप से न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को दर्शाता है।

6. उपरोक्त पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका याचिकाकर्ताओं पर 25,000/- रुपये के उदाहरणात्मक लागत के साथ खारिज की जाती है। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह लागत राशि चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय के विधिक सहायता प्रकोष्ठ में जमा की जाएगी, ऐसा न करने पर, उक्त राशि याचिकाकर्ताओं से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

7. इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के वरिष्ठ निबंधक को उचित कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जाए।"

11. पुनः, इस न्यायालय ने दांडिक प्रकीर्ण वाद संख्या 8971/2025 डॉ. नितिन त्रिपाठी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में, समान परिस्थितियों में न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग पर विचार करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"9. जब याचिकाकर्ता एक बार उस बात से पूरी तरह पीछे हट गए हैं जो उन्होंने दिनांक 26.09.2025 को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्त की थी, यहाँ तक कि न तो 40,000/- रुपये का दर्शनी हुंडी तैयार की गयी और न ही याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई निर्देश दिए गए हैं; अतः यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने शुरुआत में मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का अपना इरादा जताकर और उसके पश्चात, उन इरादों के आधार पर अपने पक्ष में अंतरिम आदेश प्राप्त करने के बावजूद, उससे पूरी तरह मुकर कर न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का सहारा लिया है।

10. उपरोक्त पर विचार करते हुए, न्यायालय का यह मत है कि यह रिट याचिका उदाहरणात्मक वाद-व्यय के साथ खारिज किए जाने योग्य है।

11. तदनुसार, उपरोक्त विवेचना को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका 40,000/- रुपये की लागत के साथ खारिज की जाती है। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह लागत राशि एक माह के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप-समिति, लखनऊ में जमा की जाएगी, ऐसा न करने पर, उक्त लागत राशि याचिकाकर्ताओं से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।"

12. उपरोक्त विवेचना को ध्यान में रखते हुए तथा व्यक्तिगत उपस्थिति के मामलों की सूची को पुनरीक्षित किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति और 20,000/- रुपये की राशि जमा न किए जाने के कारण, इस न्यायालय के पास इस रिट याचिका को खारिज करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः यह याचिका 20,000/- रुपये के अनुकरणीय लागत के साथ **खारिज** की जाती है, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा चार सप्ताह की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप-समिति, लखनऊ में जमा किया जाएगा। उपरोक्त राशि जमा न करने की स्थिति में, उक्त राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

13. हमारे द्वारा 20,000/- रुपये की लागत लगाने का कारण यह है कि यह वही राशि थी जिसे याचिकाकर्ताओं ने अपनी सद्भावना दर्शाने के लिए जमा करने की इच्छा व्यक्त की थी और चूंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई सद्भावना नहीं पाई गई, इसलिए न्यायालय का यह मत है कि

अस्वीकरण:

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

उक्त राशि को उदाहरणात्मक लागत के रूप में लगाया जाना चाहिए और इस राशि से कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा।

14. इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के वरिष्ठ निबंधक को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन)

मार्च 30, 2026

केकेवी

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”